



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 144/2021

बालासिंह पुत्र धनणसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— प्रार्थी

—:बनाम:—

1. जगरूपसिंह पुत्र चनणसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया हाल निवासी चक एच क्यू तहसील व जिला श्री गंगागनगर राजस्थान।
2. पृथ्वीसिंह पुत्र चनणसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. अमरजीतकौर पत्नि चरणजीतसिंह जाति मजहबी साकिन वार्ड न. 3 नई खुन्जा हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. कुलदीपसिंह पुत्र चरणजीतसिंह जाति मजहबी साकिन वार्ड न. 3 नई खुन्जा हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. मलकीतसिंह पुत्र बूटासिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सरजीतकौर पत्नि बूटासिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. कलवन्तकौर पत्नि स्व: अंग्रेजसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. जगसीरसिंह पि. अंग्रेजसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया।
9. कुलदीपसिंह तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. जसविन्द्रकौर पुत्री स्व: अंग्रेजसिंह पत्नि जगतारसिंह जाति मजहबी साकिन चक 12 बी एल डी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
11. लखविन्द्र कौर पुत्री स्व: अंग्रेजसिंह पत्नि गुरतेजसिंह जाति मजहबी साकिन डेलवां तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
12. पालकौर पुत्री स्व: अंग्रेजसिंह पत्नि जसविन्द्रसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जसपाल सिंह दहिया प्रार्थी
2. श्री अनिल कुमार सिहाग अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 ता 12
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा अप्रार्थी संख्या 13

—: निर्णय ::—

दिनांक :- 18/11/21

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि - यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी का सही पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में सही अंकित है। यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एल के एस ए की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 63/54 प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 19, 22 व प.न. 19/272 मु.न. 15 की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एलकेएस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी सम्वत् 2077(वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 38/32 प.न. 19/271 मु. न. 8 कि.न. 17, 24 व इसी चक का प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 4, की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एलकेएस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 52/45 प.न. 19/271 मु. न. 8 कि.न. 16, 25 व प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 5 की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी न. 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एल के एस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 3/2 प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 18, 23, व प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 3 की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 7 कलवन्तकौर के पति व मिकरा न. 8 ता 12 के पिता स्व: अंग्रेजसिंह पुत्र चनणसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जो अप्रार्थी नं. 7 ता 12 को उक्त अंग्रेजसिंह के फौत हो जाने से उक्त स्व: अंग्रेजसिंह से बतौर वारिसान ब. हिस्सा बराबर बराबर विरास्त में प्राप्त हो चुकी है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एल के एस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 65/55 प.न. 19/271 मु. न. 8 कि.न. 4/2/0.1350, 4/4/0.0340, 5/1/0.2020, 5/2/0.0510, 6, 7/2/0.1690, 14/2/0.1680, 15 की कुल 1.2650 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 3 ता 6 के नाम ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 ता 6 अप्रार्थी न. 7 ता 12 की उक्त कृषि भूमि में से उक्त तहसील पीलीबंगा का चक 4 एल के एस ए का प.न. 19 / 271 मु.न. 8 कि.न. 5/1/0.0130, 6/1/0.0130, 15/1/0.0130 कुल 0.039 हैक्ट. जो उत्तर दक्षिण 3 बीघा लम्बा व पूर्व पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता हैक्ट. जो इन बीघों में पूर्व दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता है व इसी चक का प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 16/0.0130, 17/0.0130, 18/0.0130 कुल 0.0390 हैक्ट. जो पूर्व-पश्चिम 3 बीघा लम्बा व उत्तर-दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता है। जो इन बीघों में उत्तर दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता हैक्ट.। मौका पर उक्त रास्ता चालू है जिसमें से हाकर प्रार्थी बालासिंह अपनी वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एलकेएस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 63/54 प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 19, 22 व प. न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 2, की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि व अप्रार्थी न. 1 जगरूपसिंह वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एलकेएस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 38/32 प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 17, 24 व इसी चक का प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 4, की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि व अप्रार्थी नं. 2 पृथ्वीसिंह वाके तहसील पीलीबंगा का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा




चक 4 एलकेएस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 52 /45 प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 16, 25 व इसी चक का प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 5, की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि व न. 7 ता 12 वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एलकेएस ए की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 जमान्दी सम्वत् 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 3/2 प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 18, 23, व प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 3 की कुल 0.7590 हैक्ट. नहरी, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 7 कलवन्तकौर के पति व मिकरा न. 8 ता 12 के पिता स्वः अंग्रेजसिंह पुत्र चनणसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। में आना जाना बतौर रास्ता मय ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाड़ी व पैदल चलकर व कृषि औजार सहित कर है। जिससे तहसील पीलीबंगा का चक 4 एलकेएस का प.न. कि.न. 5/1/0.0130, 6/1/0.0130, 15/1/0.0130 कुल 19 / 271 मु.न. 80. 039 हैक्ट. जो उत्तर-दक्षिण 3 बीघा लम्बा व पूर्व-पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता हैक्ट. जो ईन बीघों में पूर्व दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता है। व इसी चक 19/271 का प.न. 19/272 मु.न. 15 कि.न. 16/0.0130, 17/0.0130, 18/0.0130 कुल 0. 0390 हैक्ट. जो पूर्व - पश्चिम 3 बीघा लम्बा व उत्तर-दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता है। जो इन बीघों में उत्तर दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता हैक्ट. व मौका पर उक्त रास्ता चालू हैक्ट. को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 स्वयं ने व अप्रार्थी न. 7 का पति व अप्रार्थी न. 8 ता 12 का पिता स्वः अंग्रेजसिंह पुत्र चनणसिंह जाति मजहबी साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा ने जरिये तहरीरशुदा दस्तावेज वास्ते रास्ता स्वीकृत करवाने का दस्तावेज इकरार नामा दिनांक 17.11.2018 को अप्रार्थी न. 3 ता 6 की कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 4 एलकेएस ए का प. न. 19/271 कि.न. 5/0. 0130, 6/0.0130, 15/0.0130 कुल 0. 0390 हैक्ट. कृषि भूमि को रास्ता के उपयोग के लिये बिल मुक्ता 46000/रूपये अखरे छिशलीस हजार रूपये में खरद की हुई है। जिसमें से उक्त क्रेतागण ने उक्त विक्रेतागण को 45,000/- रूपये अखरे पैतालीस हजार रूपये रूबरू गावाहन नगद अदा कर दिये हैं। जिसमें मात्र 1000/- रूपया अखरे एक हजार रूपया क्रेतागण ने विक्रेतागण को अदा करने हैक्ट.। जिसके लिये उक्त प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 व 7 ता 12 तैयार हैं। जबकि अप्रार्थी न. 1 व 2 व 7 ता 12 ने अपनी उक्त कृषि भूमि में से निःशुल्क रास्ता स्वीकृत करवाना स्वीकार किया है।

यह कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को भू-धारक होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया हैक्ट. ताकि ताकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे। यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे।

(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 4 एल के एस ए का प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.नं. 5/1/0.0130, 6/1/0.0130, 15/1/0.0130 कुल 0.039 हैक्ट. जो उत्तर दक्षिण 3 बीघा लम्बा व पूर्व-पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता हैक्ट. जो इन बीघों में पूर्व दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता है व इसी चक का प.न. (19/271) मु.न. 8 कि.न. 16/0.0130, 17/0.0130, 18/0.0130 कुल 0.0390 हैक्ट. जो पूर्व-पश्चिम 3 बीघा लम्बा व उत्तर-दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता है। जो इन बीघों में उत्तर दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता


सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है। को रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा हैक्ट.गी।



अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 ता 7, 9 ता 12 द्वारा स्वयं हाजिर होकर प्रार्थी व अप्रार्थी राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा निम्न प्रकार से हैक्ट.:-

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1, 2 5 ता 7, 9 ता 12 का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाबत लोक अदालत की भावना से आपस में निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है। ताकि विवाद आगे ना बढ़े व स्थाई शान्ति बनी रहे। पक्षकारान आज श्री मान जी के न्यायालय/लोक अदालत में अपने पहचान के आधार कार्ड आदि सबूतों के साथ अपना राजीनामा तस्दीक करवाने हेतू हाजिर है। राजीनामा स्वीकार किया जावे। व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर निम्न प्रकार से चाहा गया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। जो कि मौका पर रास्ता आने जाने हेतू चालू है।

(क) कि तहसील पीलीबंगा का चक 4 एल के एस ए का प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 5/1/0.0130, 6/1/0.0130, 15/1/0.0130 कुल 0.039 हैक्ट. जो उत्तर दक्षिण 3 बीघा लम्बा व पूर्व - पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता हैक्ट. जो इन बीघों में पूर्व दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता है। को रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। व इसी चक का इसी प.न. 19/271 मु.न. 8 कि.न. 16/0.0130, 17/0.0130, 18/0.0130 कुल 0.0390 हैक्ट. जो पूर्व - पश्चिम 3 बीघा लम्बा व उत्तर-दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता है। जो इन बीघों में उत्तर दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता है। को रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

अतः प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1, 25 ता 7, 9 ता 12 का उक्त लिखित में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक प्रार्थना पत्र में अनुतोष एवं मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा पत्रांक 715 दिनांक 23.09.24 से प्राप्त की गई हैक्ट. मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चाहा गया रास्ता मौके पर चालू हैक्ट.। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चक 4 एलकेएस ए में प.नं. 19/271 (8) के किला नं. 5/1 0.013 हैक्ट.०, किला नं. 6/1 .013 हैक्ट. किला नं0 15/1 0.013 हैक्ट. कुल 0.039 हैक्ट. उत्तर दक्षिण 3 बीघा लम्बा व पूव पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता जो पूर्व में इसी पत्थर के किला नं0 16 ता 18 का कुल 0.39 हैक्ट. पूर्व-पश्चिम 3 बीघा लम्बा व उत्तर दिक्षण 1 बिस्वा चौड़ा है। जो उत्तरी सीव पर लगता हुआ चालू है। दावा अनुसार पक्षकार बनाये है। अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा कम दूरी का रास्ता मौके पर नहीं है। अन्य वैकल्पिक रास्ता चालू नही है। चाहा गया रास्ता ही मौके पर चालू है। अप्रार्थी सं. 8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 की तलबी होने पर हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र राजस्व काश्ताकरी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।



--आदेश--

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त रास्ता हेतु अन्य लघुत्तम विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 251-क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित होने पर स्वीकार किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस-ए का प.न. 19/271 मु.नं. 8 कि.नं. 5/1/0.0130, 6/1/0.0130, 15/1/0.0130 कुल 0.039 हैक्ट. जो उत्तर दक्षिण 3 बीघा लम्बा व पूर्व-पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता हैक्ट. जो इन बीघों में पूर्व दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता है को व इसी चक का इसी प.नं. 19/271 मु.न. 8 कि.नं. 16/0.0130, 17/0.0130, 18/0.0130 कुल 0.0390 हैक्ट. जो पूर्व-पश्चिम 3 बीघा लम्बा व उत्तर-दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता है। जो इन बीघों में उत्तर दिशा की सीव पर लगता हुआ चालू रास्ता है को स्वीकृत किया जाता है। प्रतिफल के रूप में प्रार्थी भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा